


मुख्य सचिव कार्यालय, उ०प्र० शासन
प्रथम तल, लोक भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ
दूरभाष संख्या-०५२२-२२८९२१२, २२८९२९६, फ़ैक्स-२२३९२८३

दिनांक: ०८ अप्रैल, २०२०


सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, शामली, मेरठ, बरेली, बुलन्दशहर, बस्ती, फिरोजाबाद, सहारनपुर, महाराजगंज एवं सीतापुर,

उच्च स्तरीय समीक्षा में यह पाया गया है कि आपके जनपदों में कोविड-१९ का लोड अत्याधिक है। अतः इन जनपदों में लाक डाउन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ करते हुए प्रभावित क्षेत्रों को पूरी तरह सील कर दिया जाय। जिलों में निर्गत किये गये पासों की पुनः समीक्षा कर ली जाय तथा अनावश्यक पासों को निरस्त कर दिया जाय। प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की शत-प्रतिशत होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाय तथा दुकानों अथवा सब्जी मण्डी आदि को भी न खोला जाय, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग एवं लाक डाउन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित हो सके। शत-प्रतिशत घरों की जाँच करते हुए सेनीटाइजेशन किया जाय। आवश्यक वस्तुओं से सम्बन्धित फ़ैक्ट्री/प्रतिष्ठानों के कार्मिकों/श्रमिकों जिनका आना-जाना अपरिहार्य है उन्हें भी अलग-अलग वाहनों के स्थान पर पूल वाहनों के माध्यम से लाने की व्यवस्था की जाय। सड़कों पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में लगे व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को बाहर न निकलने दिया जाय एवं उन्हें घर पर ही रहने के लिए कहा जाय। सघन पेट्रोलिंग कर इसे सुनिश्चित किया जाय तथा इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही कर इसकी सूचना नियमित रूप से प्रेषित की जाय।


०८.०४.२०२०
(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- १-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह, चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, उ०प्र० शासन।
- २-पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।


०८.०४.२०२०
(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन